



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 6235 / अका. / सम्बद्धता / 2015

रायपुर, दिनांक : 07/11/2015

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.10.2015 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.10.2015 के अनुमोदनानुसार जी. डी. रूंगटा कालेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई, जिला - दुर्ग को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा / विषय	सत्र
1.	B.Com. (Computer Application) (III Year)	2012-13
2.	B.B.A. (III Year)	2014-15
3.	B.Sc. (III Year)	
4.	B.C.A. (III Year)	

शर्त :-

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.10.2015 के निर्णय एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.10.2015 में हुए अनुमोदनानुसार महाविद्यालय को शासन के पत्र क्रमांक 324/आउशि/अशै.प्र./2015 दिनांक 16.03.2015 एवं 392/आउशि/अशै.प्र./2015 दिनांक 14.07.2015 के द्वारा उपरोक्त के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 02. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
 03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
 04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
 05. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
 06. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
 07. परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर पूर्ण करें।
 08. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।
- उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

[Signature]
उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 6236 / अका. / सम्बद्धता / 2015

रायपुर, दिनांक : 07/11/2015

प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
03. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
04. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
05. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
06. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

[Signature]
कक्ष अधिकारी (अका.)

भाग "ब"

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का विंदुवार प्रतिवेदन।

[प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।]

यह प्रस्ताव 4535/अमर/2015 दिनांक 21-08-2015 को अनुक्रम में निरीक्षण किया और पात्रता से सत्र 2014-15, BSc III, BBA II, B.Com III

1. अपात्रता परिलक्षित है
2. कंप्यूटर प्रयोगशाला में 60 कंप्यूटर हैं, जो कि परिलक्षित हैं
3. Hopeded Software नहीं है
3. परीक्षण 28 में प्रबंधन में एवं कंप्यूटर संयंत्र में 2-2 शिक्षण हैं प्रबंधन एवं कंप्यूटर विभाग में 1-1 और शिक्षण जो आवश्यकता है
4. पुस्तकालय में कंप्यूटर जो 669 पुस्तकें हैं द्वारा अनुपलब्ध हैं प्रबंधन एवं कंप्यूटर जो विभागे और काम करने में आवश्यकता है

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षर

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम-पता

विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम-पता

दिनांक

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

==